

अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
GRANT No. 70 - MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	3032,60,00	970,26,43	-2062,33,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2062,25,05
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	65,00,00	62,38,33	-2,61,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,61,68

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत/अधिक व्यय हुए:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	179798.00		
			50204.70	50204.72
पु.	R.	-129593.30		+0.02

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	64638.00	30737.24	30728.72	-8.52
पु.	R.	-33900.76			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	30970.00
पु.	R.	-30970.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	24721.00	13272.18	13272.18	..
पु.	R.	-11448.82			

(I) ₹60770.50 लाख का प्रावधान पूर्णतः छब्बीस शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹60081.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹60770.50 lakhs remained wholly unutilized under twenty six heads; of these ₹60081.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम" -

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes" -

(क) "विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी" - ₹2100.00 लाख - राज्यों से दावे प्राप्त न होने के कारण।

(a) "Interest subsidy on Educational Loans for Overseas studies" - ₹2100.00 lakhs - due to non-receipt of claims from States.

- (ख) “शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई)” – ₹700.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण।
- (ग) “पीएम-विकास” – ₹26014.50 लाख – योजना शुरू न होने के कारण।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2552” – “सामान्य – (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) – अन्य व्यय” –
- (क) “अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹8175.00 लाख;
- (ख) “अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹10000.00 लाख;
- (ग) “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” – ₹6006.00 लाख; और
- (घ) “पीएम-विकास प्रतिबद्ध देयताएं” – ₹2485.00 लाख।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।
- (ड.) “अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप” – ₹700.00 लाख – राज्यों से दावे प्राप्त न होने के कारण।
- (च) “पीएम-विकास” – ₹3000.00 लाख – योजना शुरू न होने के कारण।
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय सहायता/साझा शिक्षा योजना” – ₹901.00 लाख – योजना जारी रहने के लिए समीक्षाधीन होने के कारण।
- (b) “Shahri Waqf Sampatti Vikas Yojana (SWSVY)” - ₹700.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates.
- (c) “PM-VIKAS” - ₹26014.50 lakhs - due to non-rolling out of the scheme.
- (B) Major Head “2552” - “General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Expenditure” -
- (a) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - ₹8175.00 lakhs;
- (b) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - ₹10000.00 lakhs;
- (c) “Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - ₹6006.00 lakhs; and
- (d) “PM-VIKAS Committed Liabilities” - ₹2485.00 lakhs.
- Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.
- (e) “National Fellowship for Students from Minority Communities” - ₹700.00 lakhs - due to non-receipt of claims from States.
- (f) “PM-VIKAS” - ₹3000.00 lakhs - due to non-rolling out of the scheme.
- (C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share-Education Scheme for Madarasas and Minorities” - ₹901.00 lakhs - due to scheme being under review for continuation.

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:-

(का) “आर्थिक विकास – प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” – ₹25958.92 लाख की बचत (₹31652.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधान मंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों/अन्य संगठनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम पेशेवरों को काम पर रखने के कारण हुई।

(खा) “शिक्षा” –

(क) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति” – ₹25078.84 लाख रुपये की बचत (₹34620.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” – ₹87377.64 लाख रुपये की बचत (₹95880.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, बायो-प्रमाणीकरण लंबित रहने के कारण छात्रवृत्ति के पुनर्सत्यापन में देरी के कारण हुई।

(ग) “मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्र फेलोशिप” – ₹554.58 लाख की बचत (₹8900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(घ) “निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना” – ₹1729.63 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, योजना के बंद हो जाने तथा प्रतिबद्ध देयताओं के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:-

(II) Under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Economic Development - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹25958.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31652.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories without Legislature/other organizations and hiring of less professionals.

(B) “Education” -

(a) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - saving of ₹25078.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34620.00 lakhs); and

(b) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - saving of ₹87377.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95880.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in re-validation of scholarship owing to pending of Bio-authentication.

(c) “Maulana Azad National Fellowship of Minority Students” - saving of ₹554.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8900.00 lakhs); and

(d) “Free Coaching and Allied Scheme” - saving of ₹1729.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to discontinuation of scheme and requirement of less funds towards committed liabilities.

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare - Other Programmes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना” – योजना के विलंबित अनुमोदन के कारण ₹500.16 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(खा) “जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास की स्थापना” – ₹1146.87 लाख की बचत (₹9169.56 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपकरणों की कम खरीद, कम प्रतिनियुक्तिवादियों की नियुक्ति, हज के दौरान सहायक बुनियादी ढांचे और आवास की कम व्यवस्था कारण हुई।

(गा) “कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस)” – ₹990.41 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घा) “पीएम-विकास प्रतिबद्ध देयताएं” – ₹1558.39 लाख की बचत (₹22500.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति, बैठकों/सम्मेलन का आयोजन न करने और कम पेशेवरों को काम पर रखने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:-

(का) “शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम” – ₹1437.57 लाख की बचत (₹1480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” – ₹9110.25 लाख की बचत (₹22340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(A) “Scheme for containing population decline of small minority communities” - saving of ₹500.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(B) “Establishment of Consulate General of India, Jeddah” - saving of ₹1146.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9169.56 lakhs) was due to less procurement of medical equipment, hiring of less deputationists, supporting infrastructure and accommodation during Haj.

(C) “Qaumi Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS)” - saving of ₹990.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and utilization certificates.

(D) “PM-VIKAS Committed Liabilities” - saving of ₹1558.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.50 lakhs) was due to receipt of less proposals towards committed liabilities, non-conduction of meetings/conference and hiring of less professionals.

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Education Empowerment, Skill Development and Livelihoods and Special Programmes of Minorities” - saving of ₹1437.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1480.00 lakhs) was due to receipt of less claims from States.

(B) “Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹9110.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22340.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹726.72 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचत की आंशिक प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष “2225” - “अल्पसंख्यकों का कल्याण - शिक्षा - अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा हो गई - ₹11659.15 लाख का अधिक व्यय (₹3615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग हेतु मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित की गई राशि (₹261.68 लाख) कुल बचत ₹261.67 लाख से अधिक हो गई।

बचत निम्नानुसार हुई:-

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹261.67 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 65 प्रतिशत है।

(V) Under two heads savings of ₹726.72 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 19 percent and 28 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities - Education - Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities” - excess of ₹11659.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3615.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards scholarship and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹261.68 lakhs) exceeded the overall savings of ₹261.67 lakhs.

Saving occurred as under:-

(I) Under one head saving of ₹261.67 lakhs occurred constituting 65 percent of the sanctioned provision.